न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी:सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 90/2017
प्रविष्टि दिनांक – 9.5.2017

उनवान

~~1. गोवर्धन पुत्र रामबिलास जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक~~
1/1 नंवरलाल पुत्र गोवर्धन जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक
1/2 नाथी पुत्री गोवर्धन जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक
1/3 सीता पुत्री गोवर्धन जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक
1/4 गोलू पुत्री गोवर्धन जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक
2. लादू पुत्र रामबिलास जाति ब्राहमण निवासी झूझारपुरा तहसील निवाई व जिला टोंक

–आवेदकगण वादीगण

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
2. रूपनारायण पुत्र गोविन्दनारायण जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
3. चिरंजी पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
4. श्योजी पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
5. बुद्धिप्रकाश पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
6. मुकेश पुत्र प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
7. सोनी देवा प्रहलाद जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक
8. गायत्री पुत्री प्रहलाद पत्नी गिर्राज प्रसाद, जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी परसो का मोहल्ला रोडवेज बस स्टेण्ड के पास गोनेर जिला जयपुर
9. गीता पुत्री प्रहलाद पत्नी नवरतन जाति ब्राहमण निवासी झूंझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक हाल निवासी वडा बास फागी, तहसील फागी जिला जयपुर
10. तहसीलदार टोंक
11. उप पंजीयक निवाई जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री रामअवतार शर्मा–वकील वादीगण
श्री सीताराम शर्मा–वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 9

निर्णय

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत दुरूस्त किये जाने रिकार्ड

दिनांक :- 18/12/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजी खसरा नंबर 361 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा , खसरा नंबर 384 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 177 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकवा 52 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 76 रकबा 82 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 72 रकवा 12 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झूझारपुरा , तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। उक्त सम्पूर्ण आराजी मे आवेदकगण का 1/16 हिस्सा है तथा विपक्षीगण 1 ता 9 का 1/16 हिस्सा व शेष अन्य सहखातेदारो का है जिनसे कोई अनुतोष नही चाहा है इसलिए वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 101, 265, 262, 109, 50, 40, 48 थे जो गत सैटलमेन्ट संवत 2011 से पहले आवेदकगण के पिता रामबिलास पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी मे 1/8 हिस्से अनुसार तथा प्रार्थी 1 ता 9 के बाबा रामनिवास वल्द रामप्रताप के 1/8 हिस्से अनुसार दर्ज इन्द्राज था किन्तु संवत 2011 मे भू–प्रबन्ध की

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

कार्यवाही के बाद नया रिकार्ड बनाते समय सैटलमेन्ट पर्चा मे आवेदकगण के पिता को 1/16 हिस्से का पर्चा दिया गया और विपक्षीगण 1 ता 9 के बाबा रामनिवास वल्द रामप्रताप के हिस्से के स्थान पर उनके बडे पुत्र गोविन्दनारायण पुत्र रामनिवास के हिस्से मे 1/16 हिस्से का पर्चा दिया गया और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज किया गया। आवेदकगण के पिता अपने 1/16 हिस्से काबिज रहकर काश्त करते रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद 1/16 हिससे पर आवेदकगण काबिज है और काश्त कर रहे है। लेकिन सैटलमेन्ट पश्चात भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी बनाई जिसमे आवेदकगण के पिता रामविलास पुत्र जगन्नाथ का 1/16 एवं विपक्षीगण के पिता गोविन्दनारायण वल्द रामनिवास के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज किया गया जो जमाबंदी संवत 2011 से 2030 के खाता सं0 30 भू-प्रबन्ध जमाबंदी से स्पष्ट है कि इसकी द्वितीय प्रति तहसील कार्यालय मे जमा की गई उसमे सहवन से सेटलमेन्ट के कर्मचारियो की लापरवाही व त्रुटि के कारण आवेदकगण के पिता रामविलास वल्द जगन्नाथा के 1/16 हिस्से के स्थान पर रामनिवास वल्द जगन्नाथ अंकित कर दिया जो द्वितीय परत जमाबंदी संवत 2011 से 2030 के खाता सं0 30 जो कि तहसील कार्यालय मे जमा है तथा भू-प्रबन्ध कार्यालय की प्रथम परत संवत 2011 से 2030 के खाता सं0 30 दोनो परतो से उपरोक्त त्रुटि स्पष्ट साबित है। इस प्रकार तहसील कार्यालय की परत मे आवेदकगण के पिता का नाम रामबिलास के स्थान पर रामनिवास अंकित कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात बतौर वारिस विपक्षीगण एवं उनके पिता प्रहलाद एवं अप्रार्थी सं0 3 ता 9 के नाम आवेदक का हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि उक्त हिस्सा आवेदकगण का है। अतः आवेदकगण का 1/16 हिस्सा त्रुटिवश गलत इन्द्राज हो गया जिसे हटाया जाकर आवेदकगण के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज किया जावे, राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे। इसी प्रकार खसरा नंबर 180 रकबा 5 बिस्वा गै.मु. चाह मे आवेदकगण के पिता रामबिलास वल्द जगन्नाथ 1/8 हिस्से मे भी उक्तानुसार त्रुटि करके रामबिलास वल्द जगन्नाथ के स्थान पर रामनिवास वल्द जगन्नाथ गलत अंकित कर दिया जिसे भी दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षी सं0 1 ता 9 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे अंकितानुसार वाद पत्र स्वीकार नही है। आवेदकगण का वादग्रस्त भूमि मे 1/16 हिस्सा नही है। साबिक खसरा नंबर गलत लिखे हुए है। अप्रार्थी सं0 1 ता 9 के बाबा रामनिवास वल्द रामप्रताप के हिस्से मे 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज थी ओर उसी के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 ता 8 आज तक काबिज है । अप्रार्थी के दादा के नाम संवत 1988 अर्थात 89 वर्ष पहले राजस्व रिकार्ड मे निजामत मालपुरा राज0 सवाई जयपुर के दस्तावेज मे हक हिस्सा खातेदारी दर्ज थी। आवेदक का कथन कि भू-सैटलमेन्ट 2011 मे नया राजस्व रिकार्ड बना तब आवेदक के पिता /दादा रामविलास पुत्र जगन्नाथ के खातेदारी मे 1/16 हिस्से का पर्चा सैटलमेन्ट द्वारा प्रदान किया गया है, यह गलत है। क्योकि अप्रार्थी के दादा /पिता की खातेदारी मे संवत 1988 राजस्व रिकार्ड निजामत मालपुरा राज0 सवाई जयपुर के रिकार्ड मे 1/8 हिस्सा दर्ज था। आवेदकगण बिना आधार के जमीन का क्लेम कर रहे है। सही स्थिति के मुताबिक विपक्षीगण के दादा रामनिवास वल्द रामप्रताप के हिस्से मे 1/9 हिस्सा था परन्तु सहवन से पर्चा सैटलमेट के समय ही 1/16 हिस्सा रामनिवास वल्द रामप्रताप के नाम दर्ज हो गया एवं 1/16 हिस्सा गोविन्दनारायण पुत्र रामनिवास के नाम दर्ज हो गया। उक्त दोनो युनिटी एक ही पिता/पुत्र है इसलिए दोनो के हक व हिस्से मे 1/8 हिस्सा अंकन हो गया जो सही विपक्षीगण के हक की भूमि जब पर्चा सैटलमेन्ट बना तक एक अन्य व्यक्ति रामनारायण वल्द रामकुंवार हिस्सा 1/8 निवासी झुझारपुरा के नाम जर्द हो गया जबकि इस नये खातेदार का पुराने रिकार्ड मे 1/8 हिस्सा दर्ज नही था और सैटलमेन्ट मे 1/8 हिस्सा दर्ज हो गया और आवेदकगण के दादा रामबिलास वल्द जगन्नाथ का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिय गया। आवेदगण को रामनारायण वल्द रामकुंवार जिसने उस जमीन को बेच दिया उनके विरूद्ध घोषणा खातेदारी की कार्यवाही करनी चाहिए थी परन्तु आवेदकगण ने ऐसा नही किया और न्यायालय हाजा के समक्ष एक वाद सं0 90/2008 बाबत उदघोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया परन्तु लम्बे समय तक विचरण रहने के बाद साक्ष्य वादी की स्थिति मे दावा विड्रॉ करके नया दावा पेश करने का प्रार्थनापत्र पेश किया जिस पर न्यायालय हाजा ने 11000 रूपये का हर्जाना लगाकर नया दावा पेश करने की इजाजत दी परन्तु आज तक आवेदकगण ने ना तो जुर्माना दिया और ना ही दावा पेश किया। बल्कि

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

छलकपट करते हुए प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पेश किया है। विपक्षीगण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है जिससे आवेदकगण का कोई संबध नही है और मोके पर आवेदकगण का कब्जा नही है। आवेदकगण के दादा/पिता का नाम राजस्व जमाबंदी मे दर्ज नही हुआ बल्कि पर्चा सैटलमेन्ट मे सहवन से लिख दिया गया था जिसको तत्समय ही विपक्षीगण ने सही करवा लिया था। सैटलमेन्ट की कार्यवाही के बाद तत्कालीन खातेदार फोत हो गये उसके बाद उनके पुत्र फोत हो गये एवं उक्त आराजी मे से विक्रय भी हो चुका है तथा कई नामान्तरकरण भरे जाकर स्वीकार हो चुके है। इतनी लम्बे समय से त्रुटि बताकर, धारा 136 के तहत चलने योग्य नही है। राजस्व रिकार्ड मे कोई त्रुटि नही है रिकार्ड सही व दुरूस्त है। राजस्व रिकार्ड मे आवेदकगण का हिस्सा दर्ज नही है उनका हिस्सा अन्य व्यक्ति रामनारायण वल्द रामकुंवार के नाम अंकित हुआ था इस कारण आवेदकगण , विपक्षीगण का नाम हटाने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य धारा 136 मे दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है। इसलिए सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को नही है। 65 वर्ष के अंतराल के बाद त्रुटि हेतु आवेदन पेश किया है जो मियाद बाहर है। वाद पत्र खारिज किया जावे।

इसके पश्चात प्रकरण मे प्रार्थनापत्र बावत कायम मुकाम आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रस्तुत प्रकरण मे प्रार्थी सं0 1 गोरधन का स्वर्गवास होने के कारण उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे।

विपक्षीगण ने प्रार्थनापत्र धारा 10 व 11 सीपीसी प्रस्तुत किया जिसमे अंकित किया गया कि आराजी खसरा नंबर 361, 384, 177, 74, 76, 82, वाके ग्राम झूझारपुरो, तहसील निवाई जिला टोंक मे दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया है लेकिन उक्त आराजी बावत न्यायालय के समक्ष गोरधन वनाम सत्यनारायण 90/08 भी सार रूप से दुरूस्ती इन्द्राज का है जो साक्ष्य वादी मे चल रहा है। विना न्यायालय की अनुमति के छलकपट से पूर्ववत प्रकरण विचाराधीन रहते हुए यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थी ने प्रार्थनपत्र के साथ वाद की प्रति भी संलग्न की।

उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे अधिवक्ता वादीगण ने अंकित किया कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (भू–राजस्व अधिनियम) के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा पूर्व मे एक वाद गोवर्धन वनाम सत्यनारायण लंवित था किन्तु वादीगण ने उक्त वाद को विड्रॉ कर लिया है वर्तमान मे उक्त प्रार्थनापत्र के अलावा कोई कार्यवाही लंवित नही है। पूर्व का वाद काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रसतुत किया गया था जिसकी शक्तिया व प्रावधान अलग है और भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान अलग है। अतः प्रार्थनापत्र धारा 10 व 11 सीपीसी खारिज की जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे पुराने दावा सं0 99/2008 की आदेशिका, वाद पत्र की प्रति, एवं अन्य कार्यवाही की प्रति, मिसल हकीकत बन्दोवस्ती , मौजा झुझारपुरा तहसील निवाई निजामत मालपुरा, जमाबंदी संवत 2065–2068, खसरा गिरदावरी संवत 2065, मिलान मोजा रकवा, पारिवारिक शजरा, भू–प्रवन्ध सैटलमेन्ट, जमाबंदी 2073–76 पर्चा खतौनी रजिस्टर चकबंदी, पर्चा लगान भू–प्रबन्ध, खतोनी बन्दोवस्त भू–प्रबन्ध, नक्शा ट्रेस, नामान्तरकरण 12, 42, 4967, 131, 313, 320, विक्रय पत्र,आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार ग्राम झुझारपुरा मे अंतिम चौसाला आधार संवत 2073–2076 (वर्ष 2022)से स्थायी जमाबंदी खाता सं0 110 मे खसरा नंबर 361 0.5564 है0, खसरा नंबर 384 रकबा 2.8454 है0 किता–2, कुल रकबा 3.4018 है0, खाता सं0 79 मे खसरा नंबर 177 रकबा 0.3288 है0, खाता सं0 111 मे खसरा नंबर 74 रकबा 13.3293 है0, खाता सं0 88 मे खसरा नंबर 76 रकबा 2.7760 है0, खाता सं0 83 मे खसरा नंबर 72 रकबा 3.0984 है0, खाता सं0 48 मे खसरा नंबर 180 रकबा 0.0632 है0 गै.मु चाह ग्राम झूझारपुरा , तहसील निवाई जिला टोंक जमाबंदी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2030 के खाता सं0 30 मे कुल किता–6 कुल रकबा 161 बीघा 17 बिस्वा रामकरण वल्द कल्याण हिस्सा 1/8, मोती वल्द श्रीनारायण हि0 1/8, रामजीवण वल्द रामकिशोर हि0 1/8, बद्री वल्द हरबक्ष हि0 1/8, गंगानारायण वल्द रामकुंवार हि0 1/16, रामबिलास वल्द जगन्नाथ हि0 1/16, राधाकिशन वल्द जगदीश हि0 1/16, गोविन्दनारायण वल्द रामनिवास हि0 1/16, रामनारायण वल्द रामकुंवार हि0 1/8 कोम ब्राहमण सा0देह रामरतन वल्द रामनाथ हि0 1/8 राजस्व रिकार्ड दर्ज है। यह जमाबंदी परत सरकार है जो भू–प्रबन्ध कार्यालय की है। इसी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

जमाबंदी की द्वितीय परत जो परत पटवार होती है एवं तहसील कार्यालय मे जमा होती है उसके अनुसार कुल किता–6 कुल रकबा 161 बीघा 17 विस्वा मे रामकरण वल्द कल्याण हिस्सा 1/8, मोती वल्द श्रीनारायण हि0 1/8, रामजीवण वल्द रामकिशोर हि0 1/8, बद्री वल्द हरबक्ष हि0 1/8 , गंगानारायण वल्द रामकुंवार हि0 1/16, रामनिवास वल्द जगन्नाथ हि0 1/16, राधाकिशन वल्द जगदीश हि0 1/16, गोविन्दनारायण वल्द रामनिवास हि0 1/16, रामनारायण वल्द रामकुंवार हि0 1/8 कोम ब्राहमण सा0देह रामरतन वल्द रामनाथ हि0 1/8 राजस्व रिकार्ड दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की।

RRT 2018(2) page no 1514
RRT 2001(1) page no 596
RRT 2002(2) page no 783
DNJ(raj)2017(4) page no 1740
RRT 2012(2) page no 814
RRT 1997 page no 504
RRT 2009(1) page no 452
RRT 2018(1) page no 150
RRT 2011-12(Supp.) page no 300

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की।

भारतीय साक्ष्स अधिनियम 1872 पेज नं0 416, 418,884, 414, 412,,422
RRD 1990 page no 440,442
RRT 2011(1) page no 66
RRD 1981 page no 282
RRD 1962 page no 192
RRD 1989 page no 58
RRD 1977 page no 546

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं सपठित धारा 151सीपीसी एवं धारा 18, 56 भा.सा.अधि. प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार उक्त भूमि के संबध मे गोरधन बनाम सत्यनारायण 90/08 पेश किया था जिसमे प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सीपीसी से विड्रॉ कर लिया और नये वाद की अनुमति प्रदान करने हेतु 1100 रूपये हजा लगाते हुए दी थी। प्रार्थीगण ने उक्त अनुमति से पूर्व ही न्यायालय को गुमराह करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र पेश कया है और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये है। उक्त प्रार्थनपत्र विगत 80 वर्ष विलम्ब से पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

उक्त प्रार्थनापत्र के जवाब मे प्रार्थीगण द्वारा अंकित किया गय कि पूर्व वाद विड्रॉ हुआ है जिसमे अंतिम निर्णय नही हुआ है। प्रार्थी ने पूर्व वाद की अनुमति से ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण अब निस्तारण की ओर है जिसमे बदनियती से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं पूर्व प्रकरण अंतिम रूप से मैरिट पर निस्तारण नही किया गया था इसलिए रेसज्यूडिकेटा का सिद्धान्त लादू नही होता है। प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अंधिवक्ताओ ने अपने अपने तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया कि नया दावा पेश करने की आवश्यकता नही रही । चूंकि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र 136 का पेश कर रखा था इसलिए नया वाद प्रस्तुत नही किया है और अगर किया जाता तो यह रेसज्यडिूकेटा का प्रकरण हो जाता। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद को मात्र विड्रॉ किया गया था उसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय नही किया गया था। प्रतिपक्षी के पूर्वज रामनिवास का हिस्सा राजस्व रिकार्ड मे पूर्व मे ही है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 136 मे यह अधियाचना है कि रामबिलास /जगन्नाथ के हिस्से मे रामनिवास /रामप्रताप का हिस्सा आया था और प्रार्थीगण का हिस्सा अंकित नही हुआ। रामबिलास पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर रामनिवास / जगन्नाथ किया गया है तहसील परत मे भी है। सैटलमेन्ट वालो ने त्रुटि की है। रामबिलास पुत्र जगन्नाथ हि0 1/8 व रामनिवास पुत्र रामप्रताप हि0 1/8 था जो सैटलमेन्ट के बाद दोनो का 1/16 हो गया जिसमे से रामनिवास फोत होने पर गोविन्दनारायण हो गया । परत तहसील मे

उपखण्ड अधिकारी
लिवाई (टोंक)

रामबिलास के स्थान पर रामनिवास अंकित हो गया। रामनिवास पुत्र जगन्नाथ का नामान्तरकरण गोविन्दनारायण के नाम खुला। गोविन्द , रामनिवास का वारिस था रामनिवास की सारी जमीन गोविन्द के नाम लगी। यदि लिपिकीय त्रुटि मानी जाये तो रामबिलास के स्थान पर रामनिवास हुआ है ।

इसी प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त भूमि मे अप्रार्थी का भी 1/16 हिस्सा है। सैटलमेन्ट से पूर्व ही अप्रार्थी के पिता रामबिलास के नाम अंकित हैं । विवादित भूमि के संबध मे प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत वाद तकनीकी कमियो के कारण खारिज किया गया है जिसके निर्णय मे नवीन वाद पेश करना निर्देशित किया गया था। लेकिन प्रार्थीगणने नवीन वाद पेश नही कर, दुरूस्ती का प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्य लिपिकीय त्रुटि मे नही आते है। यह उदघोषणा का प्रकरण है।

हमने पत्रावली, उपलब्ध साक्ष्यो का अध्ययन किया एवं अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। प्रार्थीगण का कहना है कि खसरा नंबर 361 384 177 74 76 72 वाके ग्राम झूझारपुरा जिसके साबिक खसरा नंबर 101, 265, 262, 109, 50, 40, 48 थे जो गत सैटलमेन्ट संवत 2011 से पहले आवेदकगण के पिता रामबिलास पुत्र जगन्नाथ की खातेदारी मे 1/8 हिस्से मे थी लेकिन सैटलमेन्ट पश्चात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी बनाई जिसमे आवेदकगण के पिता रामबिलास पुत्र जगन्नाथ का 1/16 एवं विपक्षीगण के पिता गोविन्दनारायण वल्द रामनिवास के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज किया। अतः आवेदकगण का 1/16 हिस्सा त्रुटिवश गलत इन्द्राज हो गया जिसे हटाया जाकर आवेदकगण के नाम 1/16 हिस्सा दर्ज किया जावे। इस संबध मे प्रस्तुत वाद जिस धारा के तहत प्रस्तुत किय गया है उस धारा का अवलोकन करना उचित है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी किसी भी समय , किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियो को विहित रिती से शुद्ध कर सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना अपने हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हे राजस्व अधिकारी अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करे। यह सही है कि उक्त धारा मे भू–प्रबन्ध की गलतियो को सुधारा जाने का भी प्रावधान है लेकिन उस प्रावधान अनुसार भू–प्रबन्ध दौरान जो लिपिकीय गलती कर्मचारी या अधिकारी द्वारा की गई है उनका निस्तारण रिती द्वारा कर सकेगा बशर्ते कि हितबद्ध पक्षकार ऐसी गलतियो का भूअभिलेख रजिस्टर मे इन्द्राज कर स्वीकार करेगा, यह तथ्य भू–प्रबन्ध के पश्चात के लिए है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण मे भू–प्रबन्ध के समय उक्त तथाकथित त्रुटि नोटिस ही नही की गई फलस्वरूप तथाकथित त्रुटि को लेकर भूमि का कई प्रकार से अंतरण हो गया। प्रार्थीगण ने तत्समय भू–प्रबन्ध के दौरान या तत्काल पश्चात इसका उज्र क्यो नही पेश किया गया। चूंकि अब भूमि कई संवत रोटेशन, अंतरण एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो से गुर्जर चुकी है इसते विलम्ब से वाद पेश करने के संबध मे प्रार्थीगण अपनी दलीलो से न्यायालय को संतुष्ट नही कर पाये है। इसके अतिरिक्त उक्त धारा संदर्भ मे जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 20.12. 1995 के बिन्दु सं0 9 के अनुसार भू–प्रबन्ध के दौरान हुई गलतियो का सुधार खातेदारी अधिकार प्रभावित करते हुए कर सकेगा लेकिन धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारो मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकेगा ऐसे परिवर्तनो के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय मे वाद दायर करना होगा। हरफूल बनाम मनीराम 2013 आर बी जे 660 के अनुसार इस धारा मे केवल लिपिकीय त्रुटियो अथवा कतिपय स्वीकार की गई गलतियो को ठीक करने के लिए उत्प्रेरित किये जा सकते है परन्तु विवादित आराजी के खातेदार को इस धारा के तहत खातेदारो घोषित नही किया जा सकता है। सैटलमेन्ट के दौरान की गई प्रविष्टियो को राजस्व अधिकारी नही बदल सकते है अभिलेखो मे पूर्व के आधार पर दिये गये खातेदारी अधिकार नही बदल सकते है और प्रस्तुत प्रकरण मे भी उक्त स्थिति दृष्टित होती है। प्रभू एवं अन्य विरूद्ध रामजीलाल और अन्य आर आर डी 2007 (2)आर जे 1202, 2008 आर आर डी 34) के अनुसार धारा 136 के तहत वाद के विकल्प मे शॉर्टकट के रूप मे प्रयोग नही कर सकता है। अपितु उक्त धारा के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नही है इसलिए मियाद बाहर का तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नही होता है, लेकिन देरी के लिए प्रार्थीगण ने आधार हीन तथ्य सामने रखे है जो न्यायालय को लगभग 80 वर्ष की देरी को नजरअन्दाज करने के लिए संतुष्ट नही कर पा रहे है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र मे चाही गई इस्तदुआ धारा 136 के प्रावधानो को धारित नही करती है इसके अतिरिक्त वाद पत्र मे अंकितानुसार उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण काबिज है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा किसी भी साक्ष्य दस्तावेज से साबित नही है इसके विपरीत खसरा गिरदावरी मे अप्राथीगण का कब्जा अंकित है। चूंकि अब प्रार्थीगण व अप्राथीगण की दो पीडी फोत हो चुकी है और प्रार्थीगण के पूर्वजो ने अपने जीवनकाल मे उसके पश्चात उनके द्वारा तथाकथित गलत अंकन को चेलेंज नही किया गया और ना ही उसके पश्चात भूमि अंतरण के संबध मे भरे गये विभिन्न नामा0 की उनके द्वारा अपील की गई, जबकि साबिक खसरा नंबर पर सैटलमेन्ट से पूर्व एवं पश्चात उसी खातेदार के नाम दर्ज है एवं राज0 टि0 एक्ट लागू होने के के बाद भी उसी खातेदार के नाम खातेदारी दर्ज की गई। इस प्रकार वादीगण के कथनानुसार भी यह तथ्य भी साबित नही है कि अवैध रूप से राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी आधार एवं सक्षम न्यायालय की डिक्री के अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम अंकित कर दी क्योकि प्रार्थीगण के पूर्वजो द्वारा उक्त अंकन किसी ने चुनौती नही दी गई। अब इतने लम्बे समय पर जबकि जमाबंदी कई रोटेशन से गुजर चुकी है तथा विवादित भूमि के संबंध मे कई नामा0 तस्दीक किये जा चुके है, भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित हो चुकी है और जिनके द्वारा तत्कालीन खातेदारो से भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है वे क्रेता, बोनाफाईड परचेजर है उन्होने ने राजस्व रिकार्ड अनुसार खातेदारी दर्ज विक्रेताओ से भूमि क्रय की है। इस बोनाफाईड परचेजर के प्रति अन्याय नही किया जा सकता है। लगभग 82 वर्ष पश्चात अब उज्र पेश करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है और उज्र भी उचित धारा मे प्रस्तुत नही किया गया चूंकि उक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण लिपिकीय त्रुटि सुधार का नही होकर एक घोषणात्मक प्रकरण है जिसके द्वारा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की घोषणा करवाना चाहते। प्रकरण पर प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे चस्पा नही होती है। प्रकरण मे अंकित तथ्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के प्रावधानो की शर्तो की पालना नही करने के कारण उक्त धारा की परिधि मे नही आता है। अतः यह न्यायालय प्रकरण स्वीकार करना उचित नही समझता है।

आदेश

फलतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट बाबत आराजी खसरा नंबर 361 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 384 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंवर 177 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 74 रकबा 52 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंवर 76 रकबा 82 बीघा 3 बिस्वा खसरा नंबर 72 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम झूझारपुरा, तहसील निवाई जिला टोंक विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज़ किया जाता है। प्रार्थना पत्र पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक** 18/3/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई